

387



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी जिला भिण्ड R-1363-II-17

1. दारा सिंह
2. बलवीर सिंह
3. चरन सिंह पुत्रगण इन्द्र सिंह
निवासीगण ग्राम आलोरी तहसील
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... आवेदकगण

बनाम

1. रनवीर सिंह
2. विशाल सिंह
3. उदयभान सिंह
4. जय सिंह
पुत्रगण फूल सिंह
निवासीगण - ग्राम आलोरी तहसील
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
5. अशोक सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
निवासी- ग्राम आलोरी तहसील गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. मू राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना गोहद जिला भिण्ड
द्वारा प्रकरण क्रमांक 79/ 2015- 16 / अपील में पारित
आदेश दिनांक 26.4.2017के विरुद्ध निगरानी समयावधि में
प्रस्तुत है।

महोदय,


आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों
पर प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1363-दो/17

जिला- भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	